न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–16/2021 विविध

बलराम पुत्र श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. काना राम पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमति राजो देवी पत्नी श्री हंसराज पुत्री श्री मोमन राम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
3. भानी राम पुत्र श्री रतु राम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
4. उपखण्डाधिकारी एवं सहां कलक्टर रावतसर, श्रीमती शिवा चौधरी।

––अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार(राजस्व), रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्त. अधि. बाबत् प्रकरण सं. 53/2021 अनवानी बलराम बनाम कानाराम आदि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर से अन्यत्र अन्तरण हेतु।

उपस्थितः–1. श्री विजय कौशिक, एडवोकेट–प्रार्थी।
2. अप्रार्थी सं. 3 स्वयं।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः–02.09.2021**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर में एक दावा बाबत घोषणा व तकसीम अनवानी बलराम बनाम कानाराम वगैरा प्रस्तुत किया, जिसके साथ प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त. अधिनियम भी प्रस्तुत किया। माननीय सहायक कलक्टर, रावतसर ने बाद सुनवाई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. में रहन, बैय, अन्तरण नहीं किये जाने तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अन्तरिम आदेश दिनांक 05.07.2021 को जारी किया है तथा प्रकरण में तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी 04.08.2021 नियम की हुई है। अप्रार्थी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उन्हें दावा व स्थगन की जानकारी होने ही माननीय सहायक कलक्टर, रावतसर पर राजनीतिक दवाब बनाना शुरू कर दिया है। माननीय सहा. कलक्टर महोदय, रावतसर पत्रावली को नियम तारीख पेशी से पूर्व ही पेशी में लेकर बिना सुनवाई के अन्तरिम स्थगन आदेश खारिज करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण ने सरेआम धमकी देनी शुरू कर दी है कि अधीनस्थ न्यायालय में मिलीभगत कर पत्रावली पूर्व में पेशी लेकर तुरन्त स्थगन खारिज करवा देंगे तथा भूमि को अन्यत्र अन्तरिम करेगें। प्रार्थी

को सुदृढ़ अन्देशा हो चुका है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय, सहा. कलक्टर, रावतसर से न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा, इसलिए प्रार्थी पत्रावली को अन्यत्र अन्तरित कर सुनवाई करने हेतु इस्तदुआ करता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व उपखण्डाधिकारी, रावतसर से तथ्यात्मक टिप्पणी मंगवाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के पत्रांक 264 दिनांक 10.08.2021 से प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी प्राप्त हुई तथा अप्रार्थी सं. 03 स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित तथ्य अस्वीकार किये तथा प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर कोई ऐतराज नहीं है का अंकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 ने स्वयं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी/वादी ने माननीय न्यायालय में खाता विभाजन हेतु वाद पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर सांझा खाता का उल्लेख कर एक पक्षीय आदेश जारी करवाया की अप्रार्थीगण रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। रहन बैय न करें, का आदेश न्यायालय एस.डी.एम. रावतसर में जारी करवाया और अप्रार्थी संख्या 3 भानीराम को दावा व धारा 212 आर.टी.ए. प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाया और उल्लेख किया कि अप्रार्थी संख्या 3 भानीराम फर्जी दस्तावेज मुख्त्यारनामा के आधार पर रहन बैय व हस्तान्तरित करने की धमकी दे रहा है।श्रीमान जी के समक्ष उक्त पत्रावली में डिले करने की नियम से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं ही माननीय न्यायालय में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/वादी राजेदेवी के साथ सहखातेदार है और सहखातेदार किसी भी प्रकार से सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं करवा सकता है और राजोदेवी द्वारा रकबा रोशनीदेवी वगैरा के पक्ष में सांझा की भूमि 5 बीघा बेचान की है और राजोदेवी वगैरा के पक्ष में मुख्त्यारेआम नियुक्त करवाया है। प्रार्थी/वादी स्थगन आदेश रहन बैय बाबत् न ही जारी करवा सकता है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी/प्रतिवादीगण राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उन्हे दावा व स्थगन की जानकारी होते ही माननीय सहा. कलक्टर महोदय, रावतसर पर राजनीतिक दवाब बनाना शुरू कर दिया तथा पत्रावली को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही पेशी में लेकर बिना सुनवाई के अन्तरिम स्थगन आदेश खारिज करने की फिराक में है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने तथा अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 15(4) जाब्ता दिवानी प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य या दस्तावेजी साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड टिब्बी को अन्तरित की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए शीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को पालनार्थ एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

आदेश आज दिनांक 02.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़